उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार।

संख्या :: 443 / 16 / डी0आर0(मा0 / प्रा0) / सेवा–02 / 2022–23 दिनांक :: 28 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप
मानचित्रकार / मानचित्रक / प्रारूपकार परीक्षा–2023

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मानचित्रकार / मानचित्रक / प्रारूपकार परीक्षा–2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–A-1/Draftsman/S-2/2023 दिनांक 29 मई, 2023 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 23 जून, 2023 के क्रम में दिनांक 05 नवम्बर, 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन सूची विज्ञप्ति संख्या 249 दिनांक 21 दिसम्बर 2023 एवं अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची विज्ञप्ति संख्या 195 दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त अभिलेख सत्यापन में कतिपय अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने तथा कतिपय अभ्यर्थियों का कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2023 में चयन हो जाने पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुरोध के क्रम में अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के फलस्वरूप, प्रश्नगत विज्ञापन की रिक्तियों के सापेक्ष अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के आलोक में विज्ञप्ति संख्या : **289/17/मा0प्रा0/G-2/2023-24** दिनांक 28 नवम्बर, 2024 द्वारा अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची–। निर्गत की गयी है। अभिलेख सत्यापन सूची के सापेक्ष अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन **दिनांक 06 दिसम्बर, 2024** को **परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में** किया जाना निर्धारित है।

2. उक्त अभिलेख सत्यापन सूची में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा विभागों की ऑनलाईन वरीयता (Online Preference) भरे जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** पर दिनांक **29 नवम्बर, 2024** से खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक **29 नवम्बर, 2024** से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व विभागों की ऑनलाईन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात **ऑनलाईन वरीयता का प्रिंट आउट (जिसमें ऑनलाईन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी समाहित होगा)** डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को उक्तांकित **बिन्दु संख्या–02** में वर्णित ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 एवं मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित अर्ह अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 (यथा संशोधन) में विहित प्राविधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जायेगा। **निर्धारित तिथि (06 दिसम्बर, 2024) को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।**

4. अभिलेख सत्यापन (Documents Verification) निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित हैः–

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम
06 दिसम्बर, 2024 (शुक्रवार) – (प्रातः 09:30 बजे से)
(कुल– 40 अभ्यर्थी)

अनुक्रमांक							
800220	801113	801361	801629	802042	803018	803060	803067
803182	803337	803531	803760	803842	803848	803849	804567
804578	805003	805060	805122	805462	805548	805886	805926
805942	806070	806577	806858	807100	807101	807527	807912
808027	808193	808395	808490	808519	808904	809391	809537
							TOTAL = 40

5. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा **ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान** किया जायेगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, चैकलिस्ट (Check List) के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट** के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे :–

1. चैकलिस्ट (Check List) एवं **चैकलिस्ट के अनुसार समस्त प्रमाण–पत्र– 02 सैट।**
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form)
3. ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र (Online Preference Form)
4. विस्तृत आवेदन–पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या–02)
5. प्रमाणीकरण–पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या–03
6. देशना–पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या–04)
7. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेख।
8. नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा (यदि लागू हो)।
9. पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या–02, 03, 04 के फोटो के अतिरिक्त)

6. आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।